

प्रेषक,

के०के० सिन्हा,
प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
मैनपुरी।

राजस्व अनुभाग—10

लखनऊ: २५ दिसम्बर, 2011

विषय:—वर्ष 2011-12 में अत्यधिक ठण्ड एवं शीतलहरी से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के दृष्टिगत राहत कार्यों हेतु धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या—3450 / सी०आर०ए० / दै०आ० दिनांक 22.12.2011 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजस्व अनुभाग—10 के शासनादेश संख्या—4260 / 1— 10-2011-12(34) / 2003 टी०सी०, दिनांक 17 नवम्बर, 2011 एवं शासनादेश संख्या—4566 / 1— 10-2011— 12(34) / 2003 (टी०सी०) ।।, दिनांक 15.12.2011 के कम में, प्रदेश में अत्यधिक ठण्ड एवं शीतलहर के प्रकोप से एम०एच०ए० पत्र संख्या—32-34 / 2007— एन०डी०एम०आई० दिनांक 24 जून, 2007 द्वारा जारी भारत सरकार की गाईड लाइन्स के आईटम 16 के प्रावधान "Provision for temporary Accommodation, Food, Clothing Medical care etc. of people affected" के अनुरूप गृहविहीन/निराश्रित/ असहाय तथा कमज़ोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों के बचाव हेतु श्री राज्यपाल महोदय धनराशि रु० 1,50,000 /—(रुपये एक लाख पचास हजार मात्र) निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निर्वतन पर रखने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:—

2— उक्त स्वीकृत धनराशि से जनपद में प्रति तहसील निर्बल, निराश्रित, आश्रयहीन एवं असहाय व्यक्तियों को शीतलहर से निजात दिलाने के लिए नगर पंचायत, नगर पालिका तथा नगर निगम एवं ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर सी०आर०एफ० गाईड लाइन के अनुरूप यथोचित कार्यवाही की जाय इस प्रयोजन हेतु स्थानीय नगर निकायों का भी सहयोग प्राप्त किया जाय तथा यह भी सुनिश्चित किया जाय कि ओलावृष्टि के पूरक

अत्याधिक ठण्ड एवं शीतलहरी के कारण किसी की मृत्यु भोजन, वस्त्र, आश्रय एवं चिकित्सा सुविधा के आभाव में न हो।

3— जनपद की प्रत्येक तहसील में आवश्यकतानुसार सार्वजनिक स्थलों पर अलाव जलाने में भी धनराशि व्यय की जा सकेगी तथा यथावश्यकता सामान्य क्य नियमों के अन्तर्गत कम्बल आदि का क्य भी किया जा सकेगा। क्य की जाने वाली वस्तुओं की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाये।

4— व्यय हुई धनराशि का उपभोग प्रमाण—पत्र प्रयुक्त स्थल, दिन की संख्या, कुल व्यय सहित पूर्ण सूचना शासन को उपलब्ध कराया जाय।

5— उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय—व्ययक के अनुदान संख्या—51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक “2245—प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत—आयोजनेत्तर—05—राज्य आपदा मोर्चक निधि—800—अन्य व्यय—03—आपदा निधि से व्यय—42—अन्य व्यय” के नामे डाला जायेगा।

6— आपदा राहत निधि की उक्त धनराशि दैवी आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को राहत सहायता करने के उद्देश्य से शासनादेश संख्या—जी0आई0—134/1— 11—2007—46/96, दिनांक 31 जुलाई 2007 तथा वित्तीय हस्तपुस्तिका एवं अन्य सुसंगत नियमों/शासकीय निर्देशों के अधीन ही किया जायेगा। इस धनराशि का उपयोग किसी भी विभागीय कार्य हेतु कदापि न किया जाय।

7— उक्त स्वीकृत धनराशि वित्तीय वर्ष 2011–12 में अत्यधिक ठण्ड एवं शीत लहरी से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के दृष्टिगत राहत कार्यों पर ही व्यय की जायेगी। इससे पूर्व वर्षों के दायित्वों का निर्वहन नहीं किया जायेगा।

8— आपदा राहत निधि से आवंटित धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा—जोखा रखा जाय तथा माह के अन्त में लेखा रजिस्टर सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय और व्यय हुई धनराशि का व्यय विवरण शासन को दिनांक 31.03.2012 तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध करालिया जाय। आपदा राहत निधि से स्वीकृत धनराशि का व्यय विवरण राहत आयुक्त की वेबसाइट www.rahat.up.nic.in/rahat.2.html पर तत्काल फीड कराना सुनिश्चित किया जाय। शासन द्वारा आवंटित धनराशि में से यदि बचतें संभावित हो उन्हें दिनांक 31 मार्च 2012 से पूर्व शासन को अवश्य समर्पित कर दिया जाय।

9— आपदा राहत निधि से स्वीकृत धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड—5 भाग—1 के प्रस्तर—369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या—42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जाय।

10— व्यय की धनराशि का महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाय और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।

11— यथावश्यकता अपरिहार्य परिस्थितियों में इस मद में अतिरिक्त धनराशि की मांग पूर्ण विवरण प्रेषित करते हुए शासन से की जा सकती है।

भवदीय,

(के०के० सिन्हा)
प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त।

संख्या— 4661(1) / 1-10-2011-12(34) / 2003 टी०सी०— ||| तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

- 1— महोलखाकार(लेखा) / महालेखाकार(आडिट)प्रथम, उ०प्र० इलाहाबाद।
- 2— मण्डलायुक्त, आगरा।
- 3— आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ०प्र० लखनऊ।
- 4— वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी, मैनपुरी।
- 5— वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग—5
- 6— वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, राहत आयुक्त कार्यालय।
- 7— समीक्षा अधिकारी (लेखा) राजस्व अनुभाग—10 / राहत वेबसाइट के उपयोगार्थ।
- 8— गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(नैकपाल वर्मा)
उप सचिव।